



2026:AHC:129622

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 21852 /2026

विनोद

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: आनंद मोहन

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति, राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यह प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र, मुकदमा अपराध संख्या 210/2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 87, 61(2), के अंतर्गत थाना- कोतवाली, जिला- मैनपुरी में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को प्रस्तुत मुकदमा में झूठा फँसाया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभिलेख पर मौजूद सामग्री का अवलोकन यह संकेत देगा कि आवेदक और पीड़िता के बीच प्रेम संबंध थे। पीड़िता, जिसे नाबालिग बताया गया है, पर आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न करने का कोई आरोप नहीं है। आवेदक 25 अप्रैल 2026 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत दिए जाने के अनुरोध का विरोध किया है, हालाँकि, वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 और 183 के अंतर्गत दर्ज बयानों का अवलोकन करने पर, प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि पीड़िता, आवेदक से प्रेम करती थी। वह अपनी मर्जी से आवेदक के साथ गई प्रतीत होती है। आवेदक और पीड़िता के बीच कोई यौन संबंध स्थापित होने का कोई आरोप नहीं है।
7. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रथम दृष्टया, जमानत का मुकदमा बनता है।
8. जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
9. अभियुक्त-आवेदक **विनोद**, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में शामिल है, को निजी मुचलका और इतनी ही राशि की दो विश्वसनीय जमानतें, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:
 - i. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।
 - iii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें धमकाएगा नहीं और विचारण न्यायालय में सहयोग करेगा।
 - iv. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तारीख पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।
10. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई और संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस शपथ के साथ सत्यापित कि प्रमाणित प्रतिलिपि 15 दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी, आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा।
12. यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।



13. उपर्युक्त की गई टिप्पणियाँ विशेष रूप से इस तात्कालिक जमानत आवेदन के निर्णय हेतु हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा।

(माननीय न्यायमूर्ति, राजीव लोचन शुक्ला)

30 जून, 2026

Translated Version. Not For Legal Use.